राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस..

प्रा0पत्र संख्या– 21 / 2021

प्रकाश पुत्र बेगाराम जाति माली निवासी गोठड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

.........प्रार्थी

ब–ना–म

1. बाबुलाल पुत्र पूर्णाराम
2. मनीराम पुत्र पूर्णाराम
3. रामनिवास पुत्र पूर्णाराम
4. रामेश्वरलाल पुत्र पूर्णाराम
5. सीताराम पुत्र पूर्णाराम
6. आशा पुत्री हनुमान पत्नी महाबीर नि0 गावडी
7. घोटली पुत्री हनुमान पत्नी बलबीर नि0 नारनौल
8. निर्मला पुत्री हनुमान पत्नी नेकीराम नि0 नारनौल
9. बनारसी पुत्री हनुमान पत्नी शुभकरण नि0 नारनौल
10. मिश्री पुत्री हनुमान पत्नी राजेश कुमार नि0 गावड़ी
11. शारदा देवी पुत्री हनुमान पत्नी नेक्कीराम नि0 नारनौल
12. फूलड़ी पुत्री हनुमान पत्नी राजू नि0 नारनौल
13. महावीर प्रसादपुत्र हनुमान
14. शांति देवी पत्नी हनुमान
15. बुद्धराम पुत्र पोकरराम
16. मनीराम पुत्र हरचंद
17. हरिराम पुत्र हरचंद
18. महेश पुत्र हरचंद
19. श्रवण पुत्र हरचंद
20. ताराचन्द पुत्र हरचंद
21. अजय पुत्र हरचंद
22. गीता पत्नी श्रीराम
23. यादराम पुत्र श्रीराम
24. मनमोहन पुत्र श्रीराम
25. रेखा पुत्री श्रीराम पत्नी लोकेश कुमार नि0 श्रीमाधोपुर तह0 श्रीमाधोपुर
26. बिमला पुत्री हरचंद पत्नी रूडाराम नि0 डोगर बावड़ी तह0 खेतड़ी।
27. मुन्नी पुत्री हरचंद पत्नी खेमचन्द नि0 डोगर बावड़ी तह0 खेतड़ी।
28. सावत्री पुत्री हरचंद पत्नीरामजीलाल नि0 पाडीयीवाली नानूवाली बावड़ी, खेतड़ी
29. निरमा पुत्री हरचंद पत्नी बनवारीलाल नि0 बड़ागांव तह0 उदयपुरवाटी
30. ज्ञानचंद पुत्र दुर्गाराम
31. बनवारी पुत्र दुर्गाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:12:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

32. औकारमल पुत्र बंशीराम
33. कैलाश पुत्र बंशीराम
34. केशर पुत्र बंशीराम
35. टिलुराम पुत्र बंशी
36. नृसिंह पुत्र बंशी
37. मदनलाल पुत्र बंशी
38. महेन्द्र पुत्र बंशी
39. रामौतार पुत्र बंशी
40. रोताश पुत्र बंशी
41. बनारसी पुत्री बंशी पत्नी नत्थुराम नि0 खोवाला तन् स्यालोदड़ा
42. संतोष पुत्री बंशी पत्नी नेतराम नि0 मनियावाला कुआ सिंघाना
43. नानूड़ी पत्नी बंशी
44. जयनारायण पुत्र बेगा समस्त जाती माली नि0 बोरावाली ढाणी, गोठड़ा
45. हनुमान पुत्र जयनारायण
46. सतवीर पुत्र जयनारायण
47. ओमप्रकाश पुत्र जयनारायण
48. महेन्द्र पुत्र जयनारायण
49. राजेन्द्र पुत्र जयनारायण
50. सीमा पत्नी जयनारायण
51. अमीलाल पुत्र सरदाराम
52. कैलाश पुत्र माधाराम
53. भजनलाल पुत्र माधाराम
54. रामजीलाल पुत्र माधाराम
जाति गुर्जर मानोता तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
55. अजय सिंह पुत्र गजराज जाति जाट नि0 मानोता तह0 खेतड़ी।
56. मुन्नी देवी पत्नी निहाल सिंह जाति जाट नि0 मानोता तह0 खेतड़ी।
57. विनोद कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति गुर्जर नि0 मानोता तह0 खेतड़ी।
58. गंगाराम पुत्र बनवारी
59. गोपी पुत्र बनवारी
60. मोहन पुत्र बनवारी
61. रामनारायण पुत्र बनवारी
62. छोटी पुत्री बनवारी पत्नी नोरंगलाल नि0 चकवा की ढाणी, सिंघाना।
63. मीरा पुत्री बनवारी पत्नी रामकुवार नि0 गुडा तह0 उदयपुरवाटी।
64. सुन्दरी पत्नी बनवारी
65. गोरधन पुत्र सांवल
66. छैलूराम पुत्र सांवल
समस्त जाति माली नि0 वार्ड नं. 08 गोठड़ा
67. लाली पुत्री सांवल पत्नी शेरसिंह नि0 नानूवाली बावड़ी
68. शारदा पुत्री सांवल पत्नी शोभाराम नि0 बबाई
69. सुशीला पुत्री सांवल पत्नी नोरंलाल नि0 नानूवाली बावड़ी
70. अमरसिंह पुत्र सांवलराम
71. औंकार पुत्र सांवलराम
72. जगदीश पुत्र सांवलराम
73. झाबरमल पुत्र सांवलराम
74. मन्नाराम पुत्र सांवलराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:12:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

ख.नं. 211 इनका नियमानुसार सीमाज्ञान दिनांक 03.06.2020 को करवाया था। वर्णित भूमि में से ख.नं. 152, 153, 154, 767/210, 758/3, 770/210 का सीमांकन नियमानुसार दिनांक 17.12.2020 को करवाया था। प्रार्थी के द्वारा करवाये गये सीमांकन के साथ लगते हुए ग्राम गोठड़ा के ख.नं. 212, 217, 220, 219, 228, 227, 226, 224 के खातेदारान को अप्रार्थीगण सं. 6 लगा. 29 को पक्षकार बनाया गया है एवं ख.नं. 211 व 213 की उत्तरी सीमा के उत्तर दिशा में ग्राम मानोता के ख.नं. 343/243 की सीमा लगती है। इस कारण ग्राम मानोता के ख.नं. 343/243, 245, 237 के खातेदार को अप्रार्थीगण सं. 45 लगा. 57 को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख.नं. 152, 153, 154, 767/210, 758/3, 770/210 के साथ में लगती सीमा ख.नं. 1005/758, 993/151, 151, 210, 155, 694/234, 224, 768/210, 225 के खातेदारान की अप्रार्थी सं. 01 लगा. 5 तथा 58 लगा. 95 को पक्षकार बनाया गया है। सीमांकन कराये गये ख.नं. 211, 213, 214, 216, 221, 222, 223, 152, 153, 154, 767/210, 758/3, 770/210 के साथ लगते हुए खसरा नंबर अप्रार्थी सं. 1 लगा. 97 के खातेदारान ने सीमांकन के निशानात को खुर्द बुर्द कर दिया है और सीमा को लेकर अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ विवाद करते रहते हैं इस कारण प्रार्थी ने सीमांकन के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निश्चय किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सीमांकन 03.06.2020 व 17.12.2020 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश फरमावे जावे तथा पुख्ता सीमेन्ट व पत्थर के पीलर लगवाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस जारी की गई। अप्रार्थी सं. 96 हिन्दुस्तान कॉपर लि0 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदन पत्र के खण्ड सं. 1 व 2 जिस भांति दर्ज किये गये है स्वीकार नहीं है। वास्तविक एवं सही तथ्य यह है कि अनावेदक सं. 1 हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की के.सी.सी. इकाई स्थापना हेतु कारखाना एवं टाउनशिप निर्माण हेतु विभिन्न गांवों की भूमि आवाप्त की गई थी। उस वक्त आवाप्ति अधिकारी, खेतड़ी द्वारा ग्राम गोठड़ा की भूमि भी आवाप्त की गई थी जिसकी अधिसूचना अन्तर्गत धारा–4 दिनांक 09.07.1962 व धारा–17 दिनांक 14.07.1962 को जारी कर, आवाप्त कर पंचाट जारी किया गया था जो अंतिम हो चुका है। उक्त पंचाट के तहत हाल खसरा सं. 749/3 गत ख.नं. 305 रकबा 03 बिस्वा, खातेदार गोकल पुत्र कुम्भाराम को मुआवजा राशि 9293/–रू. अदा कर दिनांक 14.06.1979 को आवाप्त की गई, हाल खसरा नंबर 734/3 गत ख.नं. 173 रकबा 5 बीघा खातेदार हरचन्द पुत्र कुरड़ा व नागर पुत्र दयाला जाति माली नि0 गोठड़ा को मुआवजा राशि 15400/– रू. अदा कर दिनांक 20.08.1970 को आवाप्त की गई, हाल ख.नं. 758/3 गत खसरा नंबर 314 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा खातेदारान बंशी, पूर्ण, जयनारायण, प्रकाश पुत्रान बेगा, सांवलिया पुत्र सुरज, मालीयान, निवासी गोठड़ा को मुआवजा राशि 6204/– रू. का भुगतान कर दिनांक 20.08.1970 को आवाप्त की गई, हाल खसरा नंबर 761/3 गत खसरा नंबर 318 रकबा 13 बिस्वा खातेदार गोकल पुत्र कुम्भाराम को मुआवजा राशि चुकता अदा कर दिनांक 04.05.1979 को आवाप्त की गई हाल खसरा नंबर 720/210 गत ख.नं. 67 रकबा 18 बिस्वा खातेदारान कुरड़ा पुत्र शिवनाथ व भोजा पुत्र दुला माली निवासी गोठड़ा को अन्य गत ख.नं. 61, 69, 70, 68, 158, 159, 76, 71, 50, 155 व 156 के साथ मिलाकर कुल मुआवजा राशि 11685/–रू. का भुगतान कर दिनांक 12.05.1963 को आवाप्त की गई थी। उक्त प्रकार से उक्त आवाप्त शुदा भूमि हिन्दुस्तान कॉपर लि0 के स्वामित्व की औद्योगिक आवाप्ति क्षेत्र की भूमि होने के कारण न्यायालय श्रीमान जी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में सुनवाई करने का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। उल्लेखनी तथ्य यह भी है कि ग्राम गोठड़ा की आवाप्त शुदा अधिकांश भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:12:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

नामांतरकरण एच.सी.एल. के नाम हो गया था परन्तु कुछ खसरा संख्याओं की भूमि का नामांतरकण होने से रह गया, जिस बाबत प्रक्रिया प्रारम्भ कर, श्रीमान जिलाधीश महोदय से अनुरोध करने पर, श्रीमान जिलाधीश महोदय द्वारा तहसीलदार को आवाप्त शुदा भूमि का नामांतरकरण हिन्दुस्तान कॉपर लि0 के नाम करने का दिनांक 11.07.2013 को निर्देशित किया गया था। वर्तमान में उक्त खसरा नंबरान के नामांतरकरण बाबत प्रक्रिया चालू है। उक्त उल्लेखित खसरा नंबरान की विवादित भूमि का आवेदक वास्तविक खातेदार नहीं है। हाल खसरा नंबर 758/3 गत खसरा नंबर 314 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा हिन्दुस्तान कॉपर लि0 की आवाप्त शुदा भूमि है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही करने का आवेदक को विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अनावेदक एच.सी.एल. की आवाप्तशुदा भूमि औद्योगिक आबादी क्षेत्र की भूमि होने एवं मालिकाना हक एच.सी.एल. का होने के कारण आवेदक को दूसरे की भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकार विधिवत प्राप्त नहीं है। अतः अनावेदक एच.सी.एल. की ओर से जवाब आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन पत्र आवेदक खारिज किया जावे।

अप्रार्थी सं. 58 से 61, 64 से 66 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी इनकी ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः जवाब अवसर अप्रार्थी सं. 58 से 61, 64 से 66 बन्द किया गया।

अप्रार्थीगण सं. 1 से 57, 62, 63 व 67 से 95, 97 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर, इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल फर्द सीमाज्ञान दिनांक 05.12.2020, दिनांक 03.06.2020, नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता सं. 103, खाता सं. 48 , खाता सं. 123 ग्राम गोठड़ा, नकल नक्शा किश्तवार सन् 1978–79 ग्राम गोठड़ा, नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता सं. 112, खाता सं. 278, खाता सं. 216, खाता सं. 115, खाता सं. 272, खाता सं. 1, खाता सं. 172 व खाता सं. 55 ग्राम गोठड़ा पेश की।

अप्रार्थी सं. 96 हिन्दुस्तान कॉपर लि0 की ओर से अपने जवाब के समर्थन में फोटो प्रति सूची भूमि आवाप्ति अधिकारी, खेतड़ी एवं खसरा मिलान क्षेत्रफल ग्राम गोठड़ा पेश किये।

बहस योग्य विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। ग्राम गोठड़ा की जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता सं. 103 प्रार्थी की एकांकी खातेदारी की, खाता सं. 48 की प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 44 की संयुक्त खातेदारी की तथा खाता सं. 123 प्रार्थी एवं अन्य अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। दिनांक 03–06–2020 व दिनांक 05–12–2020 को वादग्रस्त भूमि का करवाया गया मौका सीमाज्ञान के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का सीमाज्ञान विधिवत् रूप से करवाया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि विवादित खाता सं. 123 को छोड़कर प्रार्थी व प्रार्थी के भाई के साथ की भूमि खाता संख्या 103 व 48 जो निर्विवाद है का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 03.06.2020 के अनुसार पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जावे। अतः सीमाज्ञान दिनांक 03–06–2020 के अनुसार सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी किया जाना विधिसम्मत पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:12:19 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार, खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वह उभय पक्षकारान की उपस्थिति में ग्राम गोठड़ा स्थित भूमि हाल खाता संख्या 103 के हाल खसरा नंबर 211 रकबा 0.61 है. का व हाल खाता सं. 48 के हाल खसरा नंबर 213, 214, 216, 221, 222, 223 का सीमाज्ञान दिनांक 03–06–2020 के पुनः नपति कर रू. 500/– की फीस पर पत्थरगढ़ी करवायें तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवायें।

निर्णय आज दिनांक 01–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:42:19 IST
Reason: SelfAttested